(75)

समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प भोपाल

R-79-PBR/17-

निगरानी प्रकरण कमांक /पी.बी.आर/2016

अवतार सिंह, आयु लगभग 41 वर्ष
आत्मज श्री प्रेमनारायण
निवासी ई-1/55
भोपाल .... आवेदक

विरूद्ध

अनिल कुमार, आयु लगभग 29 वर्ष
आत्मज स्व श्री लक्ष्मण सिंह ठाकुर
निवासी– ग्राम बावडिया कलॉ,
तहसील हुजूर जिला भोपाल .... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 12.07.2014 जिसकी संसूचना प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर दिनांक 7.12.2016 को प्राप्त हुयी एवं संपूर्ण कार्यवाही अंतर्गत प्रकरण कमांक 124/अ–12/13–14 पारित व्दारा माननीय राजस्व निरीक्षक महोदय, राजस्व निरीक्षक मण्डल 3 अंतर्गत वृत–3, तहसील हुजूर जिला भोपाल पक्षकार अनिल कुमार विरूद्ध शासन

आवेदक की ओर से निवेदन है कि :–

यह कि प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक व्दारा माननीय अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक महोदय के समक्ष ग्राम भैरोपुर, तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि कुल किता 14 क्षेत्रफल 2.45 हेक्टर का सीमांकन कराये जाने हेतु एक आवेदनपत्र दिनांक 20.6.2014 को प्रस्तुत किया था। जिसमे दिनांक 12.7.2014 को सीमांकन किया जाना दर्शाया गया है किंतु आवेदक को ऐसे सीमांकन के संबंध मे कभी भी कोई सूचना प्रदान नही की गयी एवं बिना सूचना प्रदान किये ऐसा सीमांकन कराया जाना अभिकथित किया गया किंतु मौके पर बिना किसी सीमांकन कराये आवेदक की भूमि के अंशभाग को अनावेदक की भूमि होना दर्शाते हुए आवेदक का अवैध कब्जा होना अभिकथित किया गया जबकि ऐसा सीमांकन न तो कभी मौके पर किया गया न ही इसमे सीमांकन संबंधित नियमो का पालन किया गया एवं ऐसे सीमांकन को माननीय राजस्व निरीक्षक व्दारा अंतिम करते हुए क्षेत्र पुस्तक अक्स एवं पंचनामा निर्मित किया गया ।

29/12/16

यह कि जब दिनांक 13.10.2016 की पेशी के संबंध मे आवेदक को धारा 250 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता का नोटिस प्राप्त हुआ तब आवेदक को इस तथ्य का ज्ञान हुआ कि कोई संभावित सीमांकन पूर्ववती अवस्था मे किया गया है तब उसने अविलंब नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया एवं ऐसे आवेदन के माध्यम से उसे दिनांक7.12.2016 को सीमांकन संबंधित प्रकरण की सत्यप्रति प्राप्त हुयी जिससे उसे सर्वप्रथम यह संसूचना प्राप्त हुयी कि मौके पर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-79-PBR/17 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त-3 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त-3 तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 15-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	